(वाद सं0.7755/4/11/2022-WC)

15.09.2023

प्रसंगाधीन मामला, गुलाब चन्द्र प्रसाद, से प्राप्त ई–मेल (gulabchandprasad9@gmail.com) के आधार पर पंजीकृत किया गया जिसमें उनका कथन है कि गया, जिला के नवादा के जंगल में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है।

उक्त के संबंध में **वरीय पुलिस अधीक्षक, गया** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **वरीय पुलिस अधीक्षक, गया** के प्रतिवेदनानुसार 19 वर्षीया, सीमा देवी, के लिखित आवेदन के आधार पर राजू यादव, एवं तीन(03) अज्ञात के विरूद्ध सीमा देवी, को ऑटो पर बैठाकर मानपुर क ऑभर ब्रिज के नीचे जंगल, झाड़ी के पास ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में उनके विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 376(d) व एस0एसी0 / एस0टी0 की धाराओ 3(1)(r)(s)(w)(i) / 3(2)(v-a) के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है जिसमे अब तक के अनुसंधान में प्राथमिकी अभियुक्त राजू यादव तथा तीन (03) अज्ञात के विरूद्ध उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है। प्रतिवेदनानुसार अब तक के अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई है कि 19 वर्षीया सीमा देवी, दिनांक–23.10.2022 को टेकारी से गया कपड़ा खरीदने आयी थी। अपनी माँ के कहने पर उसने अभियुक्त राजू यादव, से फोन पर ₹2000 (दो हजार)रूपये की मांग की तो राजू यादव, ने कहा चलो देंगे तथा वह सीमा देवी, को ऑटो पर बैठा कर मानपुर के ऑभर ब्रिज जंगल, झाड़ी के पास ले गया तथा वहाँ तीन(03) और दोस्तो को बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जहाँ से सीमा देवी भाग कर बुनियादगंज थाना पहुँची जहाँ उसने धटना के संबंध में लिखित आवेदन दिया।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर से अनुसंधान के संबंध में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **वरीय पुलिस अधीक्षक, गया** से प्राप्त प्रतिवेदन (पृष्ठ–12/प0) की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** के **ई–मेल** (gulabchandprasad9@gmail.com) पर सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव